

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग

क्रमांक : 6197/16/19/16

भोपाल, दिनांक 7-11-16

प्रति,


1. प्रमुख अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग,  
भोपाल.
2. परियोजना संचालक,  
लोक निर्माण विभाग,  
पी.आई.यू., भोपाल.
3. समस्त मुख्य अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग,  
मध्यप्रदेश
4. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक,  
पी.आई.यू., लो.नि.वि.,  
मध्यप्रदेश.

विषय:- पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्राक्कलनों एवं अनुपूरक सूची के अनुमोदन हेतु भेजे जाने वाले प्रकरणों बाबत ।

सड़क/भवन निर्माण कार्यों में कई बार मूल्य वृद्धि होने पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है अथवा स्थल की परिस्थितियों के अनुसार पूर्व में स्वीकृत आईटमों के स्थान पर नये आईटम की स्वीकृति अथवा पूर्व स्वीकृत आईटमों की मात्रा में परिवर्तन की आवश्यकता होती है ।

भविष्य में पुनरीक्षित स्वीकृति अथवा अनुपूरक सूची की स्वीकृति के सभी प्रकरणों में तकनीकी प्रतिवेदन एवं साथ में भेजे जाने वाले तुलनात्मक परिपत्र में लागत में वृद्धि अथवा मात्रा में परिवर्तन का कारण आईटमवार स्पष्ट अंकित किया जाये एवं इस प्रकार के जो प्रकरण शासन को जावेंगे उसमें मुख्य अभियंता प्रमाणित करेंगे कि उक्त लागत वृद्धि एवं मात्रा में परिवर्तन का परीक्षण कर लिया गया है एवं यह तकनीकी दृष्टि से उचित है ।

उक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

  
(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)  
7-11-2016

सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
लोक निर्माण विभाग

भोपाल, दिनांक .....

क्रमांक :

- प्रतिलिपि:-
1. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मध्यप्रदेश
  2. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, पी.आई.यू., लो.नि.वि., मध्यप्रदेश

सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
लोक निर्माण विभाग